राजस्थान सरकार

वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2018 **जयपुर, दिनांक 11 फरवरी, 2019**

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/465 दिनांक 06.02.2019 द्वारा घोषित संलग्न कार्यक्रम के अनुसार भीलवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत होडा, गेणोली एवं बल्दरखां के आम चुनाव माह फरवरी, 2019 के लिए मतदान दिनांक 14.02.2019 (गुरूवार) को होना निर्धारित किया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत होडा, गेणोली एवं बल्दरखां के आम चुनाव हेतु मतदान होने की स्थिति में दिनांक 14.02.2019 (गुरूवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के (संलग्न सूची के अनुसार) कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

आज्ञा से,

(शरद मेहरा)

निदेशक (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1.मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2.सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।

3 सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।

4.प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।

5.प्रमुख शासन सचिव, मुख्य मंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।

6.सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।

7.प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।

8.समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव।

9. संभागीय आयुक्त, अजमेर राजस्थान।

10.सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

11 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा राजस्थान।

12 निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर (पांच प्रतियों सहित)।

13. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु।

14.मुख्य चुनाव अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।

15 कोषाधिकारी, भीलवाड़ा/ उप कोषाधिकारी राजस्थान।

16.उप महाप्रबन्धक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आनन्द भवन, जयपुर।

17.महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, कार्यालय तिलक मार्ग, जयपुर।

18 महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, चौथा तल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।

19वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, जीवन प्रकाश, अजमेर।

20.वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मण्डल कार्यालय, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।

21.मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम,मण्डल कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जीवन प्रकाश, जयपुर।

22.मैनेजर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई, नागपुर, दिल्ली, जयपुर।

23.संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत समस्त बैंक।

24.राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 3 – नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।

25.मुम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मुम्बई।

26 मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं. लि. क्षेत्रीय कार्यालय तीसरी मंजिल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर–302001

27.सचिव, बैंक मैनेजर्स एसोसियेशन, द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, टोंक रोड़, जयपुर।

28.तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, जयपुर।

29.अवैतनिक मन्त्री, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, कार्नर गोपालजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर.।, जयपुर।

30.अवैतनिक मन्त्री, इण्डिया वर्कर्स एसोसियेशन द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन दूसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।

31.अवैतनिक मन्त्री राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर।

32.मन्त्री, को–ऑपरेटिव बैंक कर्मचारी संगठन , कोटा।

(श्रीकृष्ण शर्मा)

उप शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/ 465 दिनांक: 6/2/19

प्रमुख शासन सचिव,
वित्त (मार्गोपाय) विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषयः –ग्राम पंचायत होडा, गेणोली एवं बल्दरखां के आम चुनाव माह फरवरी, 2019 – अवकाश घोषित करने हेतु।

महोदय,

भीलवाडा जिले की ग्राम पंचायत होडा, गेणोली एवं बल्दरखां के आम चुनाव माह फरवरी, 2019 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आम चुनाव हेतु अधिसूचना दिनांक 07.02.2019 को एवं मतदान तथा मतगणना दिनांक 14.02.2019 होगी। मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर ही होगी, जो रात्रि तक जारी रह सकती है। आम चुनाव हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

1.	नियम 23 के सपठित नियम 56 के अन्तर्गत लोक नोटिस जारी करना	दि. 07.02.2019 (गुरूवार)
2.	नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा व वापिसी	दि. 10.02.2019 (रविवार)
	समय	
	(1) नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति	प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक
	(2) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वान्ह 11.30 बजे से
	(3) अभ्यार्थिता वापसी	अपरान्ह 3 बजे तक
3.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, होगा	दि. 14.02.2019 (गुरूवार)
4.	मतदान का समय	प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक
5.	मतगणना	दि. 14.02.2019 (गुरूवार) (मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
6.	उप सरपंच का चुनाव	दि. 15.02.2019 (शुक्रवार)

अतः परक्राम्य लिखित अधिनियम (नेगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट), 1881 के तहत दिनांक 14.02.2019 को उक्त तीनों ग्राम पंचायतों में अवकाश घोषित करने का श्रम करें।

FS(B) 130
6/2

भवदीय,
5/2/2019
(अशोक कुमार जैन)
सचिव

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर
1279
6/2/19

क्रमांक:एफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/ 466 दिनांक: 6/2/19

प्रतिलिपि: जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) भीलवाडा को सूचनार्थ प्रेषित है।

5.2.2019
सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग

शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
726
7/2/19

D:\Sanjay\00 Panchayat 2015 & After\After 2015\Election\Gen Election Feb 2019\Gen_election letters.doc
27